केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

अंतिम अद्यतन तिथि: 09/05/2022

कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)	
लक्ष्य समूह	i. पंजीकृत पर्यटक गाइड (पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकार / प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त / अनुमोदित), और ii. भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित यात्रा एवं पर्यटन हितधारक "ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स" में टूर ऑपरेटर्स / ट्रैवल एजेंट्स / टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर शामिल हैं, जो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से मान्यता प्राप्त / स्वीकृत हैं.
उद्देश्य	एम/एस.एनसीजीटीसी लिमिटेड की कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र (एलजीएससीएटीएसएस) योजना के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत, निम्नलिखित में से शामिल पात्र उधार राशियों को वित्तपोषित करने और कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए: i. पंजीकृत पर्यटक गाइड (पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त / अनुमोदित) और ii. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित यात्रा और पर्यटन हितधारक
पात्रता	➢ योजना के तहत निम्नलिखित में शामिल उधारकर्ता संस्थाओं पर विचार किया जा सकता है: • पंजीकृत पर्यटक गाइड (पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त / अनुमोदित) • पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित यात्रा और पर्यटन हितधारक ➢ योजना के तहत ऋण, व्यक्तियों के साथ-साथ व्यावसायिक उद्यमों के लिए भी माना जा सकता है, जो कि प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, पंजीकृत कंपनी, ट्रस्ट और एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी) या किसी अन्य कानूनी इकाई के रूप में गठित हैं, जो योजना के तहत पात्र हैं।. ➢ पर्यटक गाइड और यात्रा भूमि पर्यटन हितधारक जिनका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के साथ उधार संबंध नहीं है, लेकिन योजना के तहत पात्र हैं, वे भी योजना के तहत सहायता के लिए पात्र होंगे। ➢ ऋणी किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ अपने मौजूदा संबंध को समाप्त करते हुए ऋण प्रक्रिया को आसान, तेज और परेशानी मुक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत उस विशेष बैंक से पैसे उधार लेने के लिए आगे बढ़ सकता है। ➢ यदि लक्षित लाभार्थी ने पहले ही जीईसीएल 1.0 या 3.0 (मेसर्स एनसीजीटीसी लिमिटेड के ईसीएलजीएस 1.0/3.0 क्रेडिट गारंटी कवरेज के तहत) के तहत लाभ प्राप्त कर लिया है, तो उसे एलजीएससीएटीएसएस योजना के कवरेज के लिए आवेदन करने से पहले ईसीएलजीएस के तहत बकाया राशि को बंद / भुगतान करना होगा। । इसी तरह, अगर किसी पात्र उधारकर्ता ने एलजीएससीएटीएसएस के तहत सहायता प्राप्त की है, तो उसे मेसर्स एनसीजीटीसी लिमिटेड के ईसीएलजीएस क्रेडिट गारंटी कवरेज के तहत जीईसीएल ऋण के लिए आवेदन करने से पहले एलजीएससीएटीएसएस के तहत बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

	➢ योजना सिर्फ उन खातों के लिए लागू होगी जिनका जोखिम रेटिंग आंतरिक रूप से मध्यम जोखिम तक का है। इस योजना के तहत व्यक्तियों को ऋण के मामले में, न्यूनतम क्रेडिट स्कोर 650 होना चाहिए (सीआईसी की चार रिपोर्टों, अर्थात, सिबिल / क्रिफ / इक्विफैक्स /एक्सपेरियन में से किसी के अनुसार)। ➢ व्यावसायिक उद्यम / एमएसएमई उधारकर्ता को अनिवार्यत: जीएसटी पंजीकृत होना चाहिए जिन्हें ऐसा पंजीकरण अनिवार्य है। यह शर्त उन व्यावसायिक उद्यमों / एमएसएमई पर लागू नहीं होगी जिन्हें जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
सुविधा के प्रकार	i. कार्यशील पूंजी सावधि ऋण (डब्ल्यू सी टी एल) - कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को वित्त पोषण के लिए / नकदी प्रवाह बेमेल (कार्यशील पूंजी घाटा)/मौजूदा देनदारियों का रिहाई/ हमारे बैंक में कार्यशील पूंजी सुविधा प्राप्त मौजूदा उधारकर्ताओं को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान करना) ii. सावधि ऋण - साइकिल , कैमरा, लैपटॉप, कंप्यूटर, परिवहन वाहन आदि जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नई संपत्ति निर्माण के वित्तपोषण के लिए। (योजना के तहत क्रेडिट सुविधाओं को केवल फंड आधारित सुविधाओं के तहत माना जाएगा)।
ऋण की मात्रा	**क) कार्यशील पूंजी सावधि ऋण (डब्ल्यू सी टी एल) के लिए :** उक्त योजना के तहत अधिकतम अनुमेय वित्त • पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारों / यूटी प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त / अनुमोदित पंजीकृत टूरिस्ट गाइड को वित्तपोषित करने के मामले में 1 लाख रुपये। • पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / अनुमोदित यात्रा और पर्यटन हितधारकों के लिए वित्त पोषण के मामले में रु.1 लाख • हमारे बैंक से कार्यशील पूंजी सुविधा प्राप्त मौजूदा उधारकर्ताओं की अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, जो योजना के तहत पात्र हैं, के वित्तपोषण के लिए रु.10 लाख (अर्थात पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / अनुमोदित यात्रा और पर्यटन हितधारक, योजना के तहत पात्र है) से अधिक नहीं होना चाहिए। **b) सावधि ऋण के लिए:** योजना के तहत अधिकतम अनुमेय वित्त • पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित पंजीकृत टूरिस्ट गाइड्स वित्तपोषण, के मामले में रु.1 लाख। • पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित यात्रा और पर्यटन हितधारकों के मामले में रु.10.00 लाख। से अधिक नहीं होना चाहिए। योजना के तहत वित्तीय पोषण कार्यशील पूंजी सावधि ऋण और/या सावधि ऋण के रूप में या एक संयुक्त सुविधा के रूप में दी जा सकती है। योजना के तहत प्रति उधारकर्ता कुल एक्सपोजर,

	• पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मान्यता प्राप्त/ अनुमोदित पंजीकृत पर्यटक गाइडों को वित्तपोषण के मामले में रु.1 लाख • पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्त पोषण के मामले में रु.10.00 लाख
ब्याज दर	विषय योजना के तहत मैसर्स एनसीजीटीसी (नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड) द्वारा दी गई क्रेडिट गारंटी के तहत संपूर्ण ऋण अवधि के लिए 7.95% (सभी समावेशी) की नियत दर।
प्रसंस्करण प्रभार/ अन्य प्रभार / शुल्क	बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार।
पुनर्भुगतान	**सावधि ऋण & कार्यशील पूंजी सावधि ऋण :** • अधिस्थगन अवधि सहित प्रथम संवितरण की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष तक। • मूलधन पर अधिकतम 12 महीने की अधिस्थगन, जिसके दौरान ब्याज देय होगा
मूल प्रतिभूति	➢ ऐसे विस्तृत ऋण सुविधा से सृजित परिसम्पत्तियां । ➢ ऋणदाता यात्रा और पर्यटन हितधारकों की मौजूदा और प्रस्तावित परिसंपत्तियों / प्रतिभूतियों पर प्रभार सृजित करेगा। ➢ एनसीजीटीसी के पास योजना के तहत वित्तपोषित परिसंपत्तियों पर दूसरा प्रभार होगा, जिसे एनसीजीटीसी की ओर से एमएलआई के पक्ष में वितरण की तारीख से उचित समय के भीतर बनाया जाएगा, लेकिन किसी भी मामले में, खाते को एनपीए होने से पहले।
समर्थक प्रतिभूति	शून्य
ऋण गारंटी कवरेज	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) योजना के तहत पात्र उधारकर्ताओं (अर्थात मान्यता प्राप्त / अनुमोदित दिशानिर्देश और यात्रा और पर्यटन हितधारक) को प्रदान की गई क्रेडिट सुविधा के लिए बकाया राशि पर 100% गारंटी कवरेज प्रदान करेगी।
योजना की वैधता	31.03.2023 तक या योजना के तहत 250 करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो।
पूर्व भुगतान जुर्माना	शून्य

शर्तें लागू। ऊपर दी गई जानकारी उदाहरण मात्र है न कि संपूर्ण।

संपर्क करें: अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम केनरा बैंक शाखा से संपर्क करें या hosbu@canarabank.com ईमेल करें।